बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

आ0सं0–भवन/10/विविध–27/2014 3968(भ)/ पटना, दिनांक–05/5/25

:: आदेश ::

भवन निर्माण विभाग, के अन्तर्गत विभागीय पदाधिकारियों/अभियंताओं के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों जो प्रायः तकनीकी प्रकृति के होते है, के संदर्भ में आरोपित पदाधिकारी के बचाव बयान, द्वितीय कारण पृच्छा एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन/मंतव्य तथा परिवाद आदि के संदर्भ में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक तकनीकी समीक्षा तथा विभागीय अभिमत गठित करने हेतु आदेश ज्ञापांक–6044 दिनांक–26.08.2022 द्वारा विभागीय तकनीकी समिति का गठन किया गया है। समिति में सदस्य सचिव के रूप में संयुक्त सचिव–सह–मुख्य निगरानी पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को नामित किया गया था।

सम्यक समीक्षोपरान्त उक्त आदेश ज्ञापांक–6044 दिनांक–26.08.2022 द्वारा गठित विभागीय तकनीकी समिति में आंशिक संशोधन करते हुए श्री आशुतोष द्विवेदी, भा0प्र0से0, संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग को सदस्य सचिव नामित किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश ज्ञापांक–6044(भ0) दिनांक–26.08.2022 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

05/5/25

(रमेन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–भवन/10/विविध–27/2014 3968(भ)/पटना, दिनांक– 05/5/25

प्रतिलिपिः–माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक/उप निदेशक–01,/अनुश्रवण–सह–मूल्यांकन–सह–क्रय कोषांग, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना प्रशाखा/आई0टी0 मेनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:–

(आदेश ज्ञापांक–6044(भ0) दिनांक–26.08.2022)

5/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Manish

D//Sanjay Singh//Rao JEE-2023//Adhisuchna. Adesh

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

आ०सं०--भवन/10/विविध--27/2014.....6044(प)/ पटना, दिनांक-- 26.8.22

:: आदेश ::

भवन निर्माण विभाग, के अन्तर्गत विभागीय पदाधिकारियों/अभियंताओं के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों जो प्रायः तकनीकी प्रकृति के होते है, के संदर्भ में आरोपित पदाधिकारी के बचाव बयान, द्वितीय कारण पृच्छा एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन/मंतव्य तथा परिवाद आदि के संदर्भ में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक तकनीकी समीक्षा तथा विभागीय अभिमत गठित करने हेतु विभागीय तकनीकी समिति का गठन निम्नरूपेण किया जाता है :--

(i)	अभियंता प्रमुख--सह--अपर आयुक्त--सह--विशेष सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	--	अध्यक्ष
(ii)	संयुक्त सचिव--सह--मुख्य निगरानी पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	--	सदस्य सचिव
(iii)	निदेशक, अनुश्रवण--सह--मूल्यांकन, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	--	सदस्य
(iv)	उप निदेशक--01, अनुश्रवण--सह--मूल्यांकन भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	--	सदस्य

2. विभागीय अभिमत गठन हेतु समिति प्रत्येक सप्ताह में एक बैठक आहूत करेगी।
3. बैठक हेतु प्रस्ताव एवं मामले से संबंधित अभिलेख सदस्य, सचिव उपस्थापित करेंगे।

प्रस्ताव में माननीय (भवन निर्माण) मंत्री, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

तदनुसार इस संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश संख्या--97--सह--पठित ज्ञापांक--2376 (भ0) दिनांक--17.03.2020 को विलोपित किया जाता है।

24.08.2022
(ज्ञानेन्द्र कुमार)
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक--भवन/10/विविध--27/2014.....6044(प)/ पटना, दिनांक-- 26.8.22

प्रतिलिपिः--माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव/विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अभियंता प्रमुख--सह--अपर आयुक्त--सह--विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक/उप निदेशक--01,/अनुश्रवण--सह-- मूल्यांकन--सह--क्रय कोषांग, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव/ आई0टी0 मेनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.08.2022
सरकार के उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Dr/Sanjay Singh//BIBHU JEE-2020//Adhisuchna_Adesh